

आलेख प्राप्ति हेतु सूचना

बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) पटना के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रकाशित होने वाली "अभिलेख बिहार अंक-X" वार्षिक पत्रिका के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों/शोध अध्येताओं से शोध परख आलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

विदित हो कि यह आलेख पुराभिलेखीय विद्वान/महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन एवं घटनाओं पर आधारित होना चाहिए।

1. आलेख अधिकतम 4000-5000 शब्दों में WORD FORMAT में टंकित होना चाहिए
2. आलेख के अन्त में शोध सन्दर्भ की सूची होनी चाहिए।
3. आलेख के अंत में शोध-संदर्भ निम्नवत होना चाहिए।
 - (i) लेखक का नाम
 - (ii) पुस्तक का नाम
 - (iii) प्रकाशन/वर्ष/स्थान
 - (iv) पेज नम्बरयदि संपादित पुस्तक/जर्नल है तो
 - (i) संपादक का नाम
 - (ii) लेखक का नाम
 - (iii) अध्याय/भाग
 - (iv) प्रकाशन वर्ष/स्थान/पेज नम्बर
4. इच्छुक विद्वान/शोध अध्येता अपने आलेख को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को स्पीड पोस्ट या हाथो-हाथ दिनांक-15.09.2019 तक उपलब्ध करा सकते हैं।
5. मानदेय के रूप में लेखक को पत्रिका की एक प्रति निःशुल्क एवं प्रति आलेख 5000/- (पांच हजार रुपये) देय होगा।
6. शोधकर्ता/लेखक का मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी भी होनी चाहिए।
7. कार्यालय को ई-मेल archives-bih@gov.in पर भी भेज सकते हैं।
8. आलेख लेखक स्व-अभिप्रमाणित करेंगे कि पूर्व में उनके द्वारा भेजा गया मूल आलेख प्रकाशित नहीं है।

(डॉ. महेन्द्र पाल)

निदेशक-सह-उप सचिव